जीसीएमएस नं.2025/69

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 03/2025

राज्य सरकार जरिये कविता, जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री हीरालाल जाति जाट निवासी वार्ड न. 28 गोदारा कॉलोनी, श्रीगंगानगर।
2. होटल नेशनल ढाबा, सूरतगढ़ रोड, निमांवाली, श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्तशुदा सामग्री 02 सिलेण्डर मय 6.1 किलोग्राम गैस को राजसात करने बाबत।

उपस्थित : प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि
अप्रार्थी प्रेम कुमार।

निर्णय दिनांकः 24.04.2025

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि घरेलू गैस का दुरूपयोग किये जाने की शिकायत प्राप्त पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 26.03.2025 को नेशनल ढाबा, सूरतगढ़ रोड़, निमांवाली श्रीगंगानगर पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर **श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री हीरालाल** उम्र 48 साल जाति जाट निवासी वार्ड नं. 28 गोदारा कालोनी, श्रीगंगानगर उपस्थित मिला जिन्होने स्वयं को उक्त होटल का मालिक होना बताया। श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री हीरालाल की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। होटल की जांच में पाया कि होटल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग भोजन/नाश्ता बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त दुकान पर 02 एलपीजी गैस सिलेण्डर पाये गये। मौके पर पाये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डर इण्डेन गैस कम्पनी के हैं। मौके पर पाये गये 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर बतौर वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज **श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री हीरालाल** द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री हीरालाल के होटल पर पाये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 6.1 किलोग्राम गैस को जरिये फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं **राजुखान पुत्र श्री माडूदीन उम्र 43 साल जाति छींपा निवासी 2 एमएल, नाथांवाली कार्यकर्ता राजश्री गैस एजेंसी, श्रीगंगानगर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका व जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा तैयार किया गया। अतः श्री **प्रेम कुमार पुत्र श्री हीरालाल** द्वारा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 6.1 किलोग्राम गैस का दुरूप्योग किया जा रहा था। श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री हीरालाल के द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3 (1) (ख) (ग). 4 (1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से जब्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 6.1 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश फरमावें।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी ने कभी भी घरेलू गैस सलेण्डरो का उपयोग अवैध रिफिलिंग मे नही किया गया है, प्रार्थी पर लगाये गये आरोप झूठे व बेबुनियाद है। अतः जवाब नोटिस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्ध जारी किया गया नोटिस निरस्त फरमाया जाकर पत्रावली दाखिल दफतर फरमाई जावे। आपकी अति कृपा होगी।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि घरेलू गैस का दुरूपयोग किये जाने की शिकायत प्राप्त पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 26.03.2025 को नेशनल ढाबा, सूरतगढ़ रोड़, निमांवाली श्रीगंगानगर पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर **श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री हीरालाल** उम्र 48 साल जाति जाट निवासी वार्ड नं. 28 गोदारा कालोनी, श्रीगंगानगर उपस्थित मिला जिन्होने स्वयं को उक्त होटल का मालिक होना बताया। श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री हीरालाल की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। होटल की जांच में पाया कि होटल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग भोजन/नाश्ता बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त दुकान पर 02 एलपीजी गैस सिलेण्डर पाये गये। मौके पर पाये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डर इण्डेन गैस कम्पनी के हैं। मौके पर पाये गये 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर बतौर वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज **श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री हीरालाल** द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री हीरालाल के होटल पर पाये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 6.1 किलोग्राम गैस को जरिये फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं **राजुखान पुत्र श्री माडूदीन उम्र 43 साल जाति छींपा निवासी 2 एमएल, नाथांवाली कार्यकर्ता राजश्री गेस एजेंसी, श्रीगंगानगर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका व जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा तैयार किया गया। अतः श्री **प्रेम कुमार पुत्र श्री हीरालाल** द्वारा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 6.1 किलोग्राम गैस का दुरूप्योग किया जा रहा था। श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री हीरालाल के द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3 (1) (ख) (ग). 4 (1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 6.1 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि घरेलू गैस का दुरूपयोग किये जाने की शिकायत प्राप्त पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 26.03.2025 को नेशनल ढाबा, सूरतगढ़ रोड़, निमांवाली श्रीगंगानगर पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर **श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री हीरालाल** उम्र 48 साल जाति जाट निवासी वार्ड नं. 28 गोदारा कालोनी, श्रीगंगानगर उपस्थित मिला जिन्होने स्वयं को उक्त होटल का मालिक होना बताया। श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री हीरालाल की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। होटल की जांच में पाया कि होटल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग भोजन/नाश्ता बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त दुकान पर 02 एलपीजी गैस सिलेण्डर पाये गये। मौके पर पाये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डर इण्डेन गैस कम्पनी के हैं। मौके पर पाये गये 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर बतौर वजह सबूत जब्त किये

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज **श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री हीरालाल** द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री हीरालाल के होटल पर पाये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 6.1 किलोग्राम गैस को जरिये फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं **राजुखान पुत्र श्री माडूदीन उम्र 43 साल जाति छींपा निवासी 2 एमएल, नाथांवाली कार्यकर्ता राजश्री गैस एजेंसी, श्रीगंगानगर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका व जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा तैयार किया गया।

इस प्रकार अप्रार्थी **श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री हीरालाल** द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अवैध गैस रिफलिंग में किया जा रहा था। अतः अप्रार्थी **श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री हीरालाल** के द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर का अवैध गैस रिफलिंग में उपयोग कर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) QRDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग), 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः अप्रार्थी **श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री हीरालाल** से मौके पर जब्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 6.1 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्री गंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासिन), श्रीगंगानगर